सत्यमेव जयते

<u>राजस्थान सरकार</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 3/22   दायर दिनांक 14.2.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

1. इंद्र पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. बसन्ती पुत्री नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
3. महावीर पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
4. मांगूराम पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
5. राजेन्द्र पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
6. रामादेवी पत्नि नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
7. लादूराम पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
8. सुरेन्द्र पुत्र नाथूलाल जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़

––प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. हनुमान पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़
2. गोपी पुत्र श्योकरण जाति कुम्हार नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
4. प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सुरसुरा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0अधि0 1956

निर्णय   **दिनांक 29.4.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा के ख0न0 1639, रकबा 1.4238 है0, ख0न0 1647 रकबा 0.3074 है0, ख0न0 1651/2122, रकबा 0.2427 है0, ख0न0 1670 रकबा 0.3721, ख0न0 2396/853 रकबा 0.3478 है0, ख0न0 2396/853 रकबा 0.3478 है0, ख0न0 2437/920 रकबा 0.6714 है0, ख0न0 2664/1652 रकबा 0.0728 है0 भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 2437/920 रकबा 0.6714 है0 भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी की ख0न0 2438/920 की भूमि स्थित है। दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी की ख0न0 2439/920 की भूमि स्थित है। पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 897 व 917 की राजकीय भूमि स्थित है। उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2436/920 राजमार्ग स्थित है तथा खसरा नम्बर 919 में गैर मु0 चाह स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य प्रतिवर्ष रबी व खरीफ की फसल काश्त करने का विवाद होता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा काश्त में निरन्तर बाधा से व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 3 के समक्ष वादग्रस्त ख0न0 2437/920 की कुल 0.6714 है0 भूमि का सीमाज्ञान करने का आवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 3 के आदेश की पालना में वादग्रस्त आराजी ख0न0 2437/920 की भूमि पर सीमाज्ञान किया उस समय प्रार्थी संख्या 7 मौके पर उपस्थित हुआ और राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर भूमि के सीमाज्ञान रिपोर्ट से सहमति प्रदान की परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने मौके पर स्वीकार करने में मौखिक रूप से असहमति प्रदान की। प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त 2427/920 की कुल 0.6714 है0 भूमि पर पूर्ण अधिकार है जिसमे हस्तक्षेप करने का अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के खातेदारी की ख0न0 2437/920 की भूमिपर मेडबंदी कर रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थीगण माह अक्टूबर 2021 में दिनांक 21.10.2021 को अपने कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 2437/920 की भूमि पर रबी की फसल ट्रेक्टर से काश्त की तब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने वाधा कारित की तथा वादग्रस्त ख0न0 2437/920 पूर्वी व दक्षिण दिशा की मेड को क्षतिग्रसत ख0न0 2437/920 की पूर्वी व दक्षिण दिशा की मेड को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया तो प्रार्थीगण ने आपत्ति की जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी संख्या 1, 3, 5,7 को दिनांक 21.10.2021 को एलानिया धमकी दी। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त ख0न0 2437/920 की भूमि पर निशानदेही की जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त कर सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ख0न0 1639 रकबा 1.4238 है0, ख0न0 1647 रकबा 0.3074 है0, ख0न0 1651/2122 रकबा 0.2427 है0 ,ख0न0 1670 रकबा 0.3721 है0, ख0न0 2396/853 रकबा 0.3478 है0, ख0न0 2437/920 रकबा 0.6714 है0, ख0न0 2664/1652 रकबा 0.0728 है0 भूमि के पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.06.07 16:36:05 IST
Reason: SelfAttested